

1811
2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार श्रीमान जी. प्रभाकर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड के आधार पर रामोतार पु. मूला की स्थान पर रामावतार पु. मूलचन्द किया जाना प्रस्तावित है -

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी
22/12/2021

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभियोग्यता की जाती है / नहीं की जाती है।

उलूक्त किया जाना उचित है

02/12/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अनल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	कैरोठ	2075-78	52	रामोतार पु. मूला	रामावतार पु. मूलचन्द


नोट :-शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क :- राजस्व/2020/1763-64

दिनांक :- 21/12/20

- मेपि :-
1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
 2. प्रार्थी/प्रार्थीया



उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी